न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 158/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. श्रीमती इन्द्रा पुत्री गुलाबाराम, पत्नी श्री ओमप्रकाश, जाति मेघवाल, निवासी झालामण्ड, जोधपुर हाल निवासी लाला लाजपतराय कॉलोनी, 5वीं रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर।		1. चन्दाराम पुत्र श्री गुलाबाराम 2. विक्रम पुत्र मीठाराम 3. राहुल पुत्र मीठाराम 4. कर्ण पुत्र मीठाराम 5. सोहनी पत्नी मीठाराम 6. कुलदीप पुत्र श्री सुरजाराम 7. विजय पुत्र श्री सुरजाराम 8. पूजा पुत्री सुरजाराम जातियान् मेघवाल, । निवासी लाला लाजपतरा कॉलोनी, पांचवी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर 10. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः– 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 16.12.2024

अपीलान्ट श्रीमती इन्द्रा पुत्री श्री गुलाबाराम पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी झालामण्ड जोधपुर हाल निवासी लाला लाजपतराय कॉलोनी 5वीं रोड़ सरदारपुरा जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट चन्दाराम पुत्र श्री गुलाबाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झालामण्ड के खेत खसरा संख्या 11 रकबा 9.16 बीघा तथा खसरा संख्या 17 रकबा 13.10 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 23.11 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जिसके मूल खातेदार अपीलांट के दादा नाथुरामजी थे जिनके देहान्त के पश्चात् भूमि की फौतेदगी नामान्तरकरण नाथुरामजी के पांच पुत्रों देवाराम, गुलाबाराम, मूलाराम, ओमप्रकाश तथा किशोर के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपीलांट के पिता स्व. श्री गुलाबाराम का उक्त सम्पूर्ण भूमि में 1/5 हिस्सा बनता था जो कि राजस्व रेकर्ड में उनके जीवनकाल तक चलता रहा तथा स्व. श्री गुलाबाराम का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि में उनके हिस्से के बाबत् फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 611 तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में गुलाबाराम के पुत्र चन्दाराम, मीठाराम तथा गुलाबाराम की पत्नी दाकू के नाम से दर्ज किया गया। अपीलांट स्व. श्री गुलाबाराम की जायन्दा पुत्री एवं प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते अपीलांट का नाम भी नामान्तरकरण संख्या 611 में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक था किन्तु अपीलांट का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज नहीं कर केवल चन्दाराम, मीठाराम व दाकू के नाम दर्ज कर दिया गया। स्व. श्री गुलाबाराम का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:--

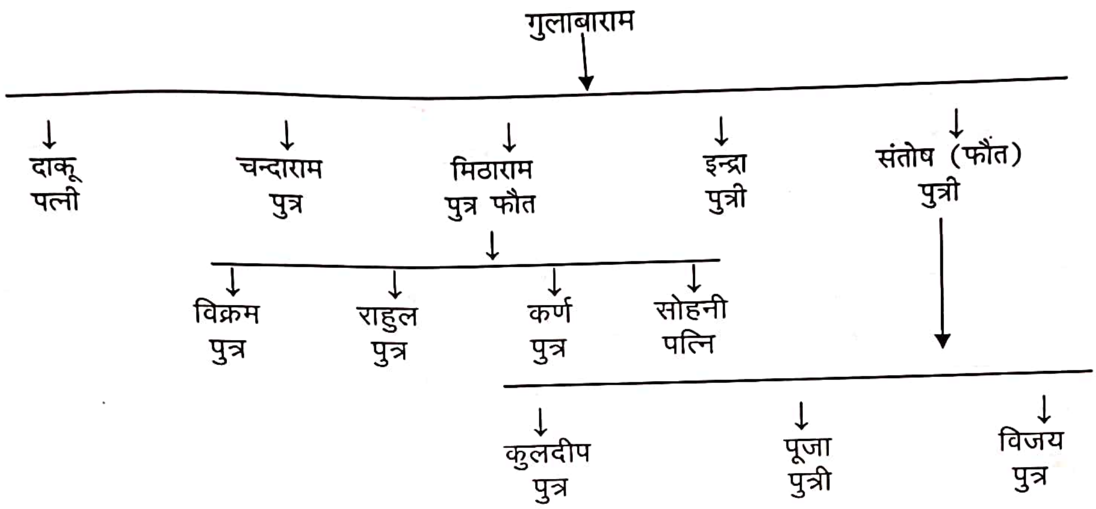

उक्त सजरा खानदान के मुताबिक अपीलांट गुलाबाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक उनके देहान्त के पश्चात् स्वत: ही अपने हिस्से की भूमि की मालकिन हो गई इसलिए स्व. श्री गुलाबाराम का फौतेदगी नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार वारिसों की जांच कर नामान्तरकरण संख्या 611 स्वीकृत किया जाना चाहिये था किन्तु तहसीलदार जोधपुर द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट चन्दाराम वगैरा के नाम से स्वीकृत कर देने से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 611 स्वीकृत करने से पूर्व नियमानुसार अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई कर अवसर दिये बिना एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पोडेन्टस से मिलीभगत कर नामान्तरकरण स्वीकृत करने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांट मृत्तक गुलाबाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने पर भी नामान्तरकरण में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाने, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के मुताबिक अपीलांट मृतक गुलाबाराम की जायन्दा पुत्री होने से अपील में वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने के कारण अपीलांट का हिस्सा स्वत: ही निर्धारित होने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लैण्ड रेवेन्यू की धारा 131 से 135 की पालना किये बगैर मनमर्जी से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने, अधीनस्थ न्यायालय [illegible] नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व बिना जांच एवं रेकर्ड के अवलोकन किये [illegible] करने, अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट से पूछताछ करने पर अपीलांट का नाम नामान्तरकरण [illegible] नहीं भरा जावे तथा सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने की जानकारी होने पर इसका पता [illegible] दिनांक 20.08.2019 को नामान्तकरण संख्या 611 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने [illegible] प्रथम आदेश दिनांक 22.09.1993 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:31 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जानकारी होने आदि आधारों पर अपील पेश कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम झालामण्ड के खेत खसरा संख्या 11 रकबा 9.16 बीघा तथा खसरा संख्या 17 रकबा 13.10 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 23.11 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित ग्राम झालामण्ड के खेत खसरा संख्या 11 रकबा 9.16 बीघा तथा खसरा संख्या 17 रकबा 13.10 बीघा कुल खसरा 2 कुल रकबा 23.11 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम में से अधिकांश भूमि धारा 90-बी व 90-ए भू राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में वेस्ट हो चुकी है एवं अधिकांश भूमि की खातेदारी जमाबंदी में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे भी जारी किये गये है। जब तक धारा 90-बी व 90-ए के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश निरस्त नहीं हो जाता है, तब तक अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उक्त अपील में नामान्तरकरण वर्ष 1993 में भरा गया एवं अपीलान्ट द्वारा अपील वर्ष 2019 में यानि लगभग 26 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट उस परिवार की सदस्य होने पर भी उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना सही नहीं है। अतः अपील में वर्णित भूमि पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण म्याद के बिन्दू तथा अधिकांश भूमि जोधपुर विकास प्रधिकरण में वेस्ट होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने व तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के अधिवक्ता ने जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत कर बताया कि अपील में वर्णित भूमि में से अधिकांश भूमि धारा 90-बी व 90-ए भू राजस्व अधिनियम के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में वेस्ट हो चुकी है एवं अधिकांश भूमि की खातेदारी जमाबंदी में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे भी जारी किये गये है। जब तक धारा 90-बी व 90-ए के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं रहती है एवं कृषि भूमि नहीं रहने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा अब इस स्तर पर नामान्तरकरण के संबंध में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही कृषि भूमि के संबंध में ही होती है। इसके अलावा उक्त अपील में नामान्तरकरण वर्ष 1993 में भरा गया एवं अपीलान्ट द्वारा अपील वर्ष 2019 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

यानि लगभग 26 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में कोई संतोषजनक उचित व न्यायसंगत कारण एवं स्पष्टीकरण नहीं है। जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपील में वर्णित भूमि में से अधिकांश भूमि धारा 90-बी व 90-ए के प्रावधानों के तहत जोधपुर विकास प्राधिकरण में वेस्ट हो चुकी है जब धारा 90-बी व 90-ए के तहत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण में वेस्ट होती है, तब खातेदारी अधिकारों का अवसान हो जाता है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नहीं होने एवं अपील प्रस्तुत करने में 26 वर्ष की देरी का भी कोई उचित न्यायसंगत एवं संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं होने से अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दू पर तथा अधिकांश भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण में वेस्ट हो जाने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.1993 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम झालामण्ड को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.19 17:40:31 IST
Reason: SelfAttested